5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. Rs.5
भारत भारत भारत INDIA
पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल,ग्वालियर,केम्प सागर.

1: जमना अरिहवार वल्द तातू अहिरवार,

2: मन्नू पिता पूरन,

3: ब्रजकिशोर पिता पुरूषोत्तम,

सभी निवासी ग्राम भैंसा तहसील व जिला सागर.

... ... आवेदकगण

वि रू द्वं

हरजीतसिंह पिता हरभजन भाटिया,

निवासी 5/21, सदर बाजार सागर तह0जिला सागर.

... ... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959:–

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षण मंडल सागर 1 के राजस्व प्रकरण कर्मांक 28–अ/12 सन् 2014--15 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2015 से परिवेदित होकर नीचे लिखे तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते हैं:–

1: यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा मौजा भैंसा पटवारी हल्का नंबर 45 राजस्व निरीक्षण मंडल सागर 1 में स्थित भूमि खसरा नंबर 236/8 रकवा 0.02 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 26.2.2015 को श्रीमान राजस्व निरीक्षण महोदय सागर 1 केयहॉ प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर दिनांक 2.3.2015 को हल्का पटवारी द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना दिये बिना नक्शे में बटांक के अवैधानिक रूप से सीमांकन कर आवेदक कमॉक 1 को 17 गुणे 40 फुट, आवेदक कमॉक 2 को 15 गुणे 22 फीट एवं आवेदक कमॉक 3 को 5 गुणे 22 फीट का अतिक्रमणधारी बताते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक सागर नंबर 1 द्वारा दिनांक 4.3.2015 को अवैधानिक आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व यह निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है.

2: यह कि, श्रीमान राजस्व निरीक्षक सागर 1 का आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्वांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है.

3: यह कि, विवादित भूमि आवासीय भूमि है जिसका नक्शे में कोई बटांक नहीं है ऐसी स्थिति में हल्का पटवारी द्वारा बगैर बटांक के दिनांक 2.3.2015 को किया गया सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.-3044/II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश — जमना रहजोत सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.12.15	प्रकरण मे आवेदक अधिवक्ता श्री के.एस. निगम उपस्थित। उन्हें प्रकरण मे ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 4-3-15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि निगरानी मेमो के बिन्दु क्रमांक 1 में अंकित अनुसार आवेदकगण का कब्जा आवेदित भूमि के भूखण्ड क्रमांक 200 पर संलग्न अभिलेख अनुसार होना परिलक्षित हो रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के समर्थन मे ऐसा कोई अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक गण का कब्जा नही है। अतः उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे विचारोपरांत प्रकरण मे ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य 1.12.15	

[कृ. प. उ.